मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 29 जुलाई, 2010 (श्रावण 7, 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री नरेश सिंह पटेल, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये गये। श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष तथा श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्य ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये। सदन द्वारा दो मिनिट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्तजन के प्रति संवेदना प्रकट की गई।

पूर्वाह्न 10.37 बजे दिवंगतों के सम्मान में कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित होकर 10.43 बजे पुनः समवेत हुई।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 13 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 125 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 127 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्वाइंट ऑफ इनफार्मेशन के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री के संबंध में की गई टिप्पणी के विरोध में, कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में प्रवेश कर नारेबाजी की गई। व्यवधान के कारण पूर्वाह्न 11.34 बजे सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित होकर 11.47 बजे पुनः समवेत हुई)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री अजय सिंह, सदस्य की प्रदेश में गैर डिग्रीधारी डॉक्टरों द्वारा चिकित्सा किये जाने,

(2) श्री पारस दादा सकलेचा, सदस्य की रतलाम में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ने,

(3) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर के विजय नगर में बी.पी.एल. परिवार को ऊर्जा विभाग द्वारा सताये जाने,

(4) श्री रणजीत सिंह गुणवान, सदस्य की भोपाल के गोदरमऊ की तिलकनगर गृह निर्माण समिति की भूमि पर कब्जा होने,

(5) श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्य की रीवा के मऊगंज के सीतापुर में चौकी खोले जाने,

(6) श्री भगवान सिंह राजपूत, सदस्य की प्रदेश सरकार द्वारा किसानों का खरीदा गया गेहूँ सड़ने,

(7) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य की सेमरिया के टमस नदी पर एनीकट का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर भी न बनाये जाने,

(8) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य की टीकमगढ़ जिले में सूखे से ग्रामीणों का पलायन होने,

(9) श्री परसराम मुद्गल, सदस्य की मुरैना में आदिम जाति कल्याण विभाग में प्रभारी जिला संयोजक को कार्य दिये जाने,

(10) श्री सुनील जायसवाल, सदस्य की स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, नरसिंहपुर में परीक्षा परिणाम घोषित न होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 11 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2009-2010 की द्वितीय छःमाही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छःमाही समीक्षा विवरण पटल पर रखा।

(2) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार :-

(क) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 तथा 2008-2009,

(ख) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005, 2006-2007 तथा 2007-2008,

(ग) डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 तथा 2007-2008,

(घ) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007, 2007-2008 तथा 2008-2009,

(ङ) मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004 तथा 2006-2007,

(च) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002, 2002-2003, 2006-2007 तथा 2007-2008,

(छ) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007, 2007-2008 तथा 2008-2009,

(ज) महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007, 2007-2008 तथा 2008-2009, एवं

(झ) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2007-2008 तथा 2008-2009,

पटल पर रखे।

6. वक्तव्य

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री द्वारा मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों के महापौर, अध्यक्ष एवं पार्षदों के मानदेय में वृद्धि सम्बन्धी वक्तव्य दिया। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

7. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से सूचित किया गया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुये सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके आज की कार्यसूची में 10 सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही यह अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर चार ध्यान आकर्षण सूचनाओं पर यथाशीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें।

(1) श्री रमेश सक्सेना, सदस्य ने सीहोर जिले में उद्यानिकी विभाग द्वारा फर्जी वाउचरों से राशि का आहरण कर अनियमितता किये जाने की ओर उद्यानिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, उद्यानिकी मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य ने सागर जिले के जैसीनगर जनपद पंचायत के अधिकारियों द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री पुरूषोत्तम दांगी, रामनिवास रावत, सदस्यगण ने ग्वालियर संभाग में रेत का अवैध उत्खनन होने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, खनिज साधन ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री रत्नेश सॉलोमन, सदस्य ने दमोह जिले में स्टापडेम के निर्माण में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(चर्चा अपूर्ण)

(अपराह्न 1.00 से 2.35 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

8. स्वागत

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री मीर रंजन नेगी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन की ओर से स्वागत किया गया।

9. लोक लेखा समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति हेतु निर्वाचन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति में रिक्त एक स्थान की पूर्ति हेतु सदस्य के निर्वाचन के सिलसिले में, निर्धारित कार्यक्रमानुसार नाम वापसी के पश्चात् केवल एक उम्मीदवार शेष है। चूंकि उक्त समिति हेतु एक ही सदस्य का निर्वाचन होना है, अतः श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य को एतद्द्वारा निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाता है।

10. ध्यानाकर्षण (क्रमशः)

(ध्यानाकर्षण क्रमांक (4) पर चर्चा की कार्यवाही पूर्ण की गई।

(5) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य ने जबलपुर नगर निगम द्वारा सफाई कर्मियों की भर्ती में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री मनोहर ऊटवाल, राज्यमंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास ने इस पर वक्तव्य दिया।

(6) श्री रामलखन सिंह, सदस्य ने सतना जिले के जैतवारा नगर पंचायत के पार्षद की हत्या के आरोपियों पर कार्यवाही न होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नारायण सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

(7) सर्वश्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, तुलसीराम सिलावट, के.पी. सिंह "कक्काजू", सदस्यगण ने प्रदेश के निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु प्राप्त राशि का दुरूपयोग किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(8) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, टीकमगढ़ के संचालक मंडल द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(9) सर्वश्री केदारनाथ शुक्ल, कुंवर सिंह टेकाम, सदस्यगण ने सीधी एवं सिंगरौली जिले में मनरेगा के तहत नंदन फलोद्यान उप योजना कार्य में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(10) श्री श्रीकांत दुबे, सदस्य ने पन्ना जिले में पुलिस द्वारा अपराधियों पर कार्रवाई न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नारायण सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

11. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य ने याचिका समिति का द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

12. संविहित संकल्प की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"यह सदन मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 के साथ पठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश विधान मण्डल यात्रा भत्ता नियम, 1957 में किए गए संशोधनों का, जो संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 664-एफ (3) 20-10-दो-अड़तालीस, दिनांक 20 मई, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 291, दिनांक 20 मई, 2010 में प्रकाशित किये गये हैं, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसरण में अनुमोदन करता है".

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश कपास बीज (पूर्ति, वितरण एवं विक्रय का विनियमन तथा विक्रय मूल्य का निर्धारण) विधेयक,2010 एवं मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक,2010 (क्रमांक 23 सन् 2010) की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए एक दिन पूर्व वितरित किये गये विधेयकों को स्थाई आदेश की कंडिका 24 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को शिथिल कर आज ही सदन में पुरःस्थापन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई है।

(1) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश कपास बीज (पूर्ति, वितरण एवं विक्रय का विनियमन तथा विक्रय मूल्य का निर्धारण) विधेयक,2010 (क्रमांक 22 सन् 2010) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया गया।

(2) श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, 2010 (क्रमांक 23 सन् 2010) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया गया।

(3) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक,2010 (क्रमांक 21 सन् 2010) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(2) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन

(3) श्री पारस दादा सकलेचा

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 11 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक,2010 (क्रमांक 21 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

14. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा का पुनर्ग्रहण

प्रदेश में विद्युत की कमी, अघोषित विद्युत कटौती एवं विद्युत दरों में वृद्धि के संबंध में दिनांक 22 एवं 23 जुलाई, 2010 को हुई चर्चा के क्रम में निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया।

(4) श्री लक्ष्मण तिवारी

(5) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सखलेचा

(6) श्री बाला बच्चन

(7) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर

(8) श्री रामनिवास रावत

अपराह्न 5.00 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई, 2010 (श्रावण 8, 1932) के प्रातः 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 28 जुलाई, 2010